Regarding need to enhance the honorarium of Accredited Social Health Activists-laid

श्री विनोद कुमार सोनकर **(कौशाम्बी):** आशा बहुओं के मानदेय में वृद्धि अति आवश्यक है क्योंकि आशा कार्यकर्ता के पदों पर कार्य करनेवाली स्त्रियां बेहद निम्न और पिछड़े आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पृष्ठभूमि से हैं, जो बेहद निम्न आय में जीवनयापन करने को अभिशप्त हैं। आशा बहुओं के पदों पर 80% दलित-बहुजन जातियों की स्त्रियां कार्यरत हैं। जबकि आशा संगिनी के पद पर दलित-बहुजन महिलाओं की भागीदारी केवल 20% प्रतिशत है। 20 आशा बहुओं का क्लस्टर बनाकर एक आशा संगिनी की नियुक्ति की जाती है। संगिनी का काम आशा कार्यकर्ताओं के कामों की निगरानी करना है। उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को आशा बहु की संज्ञा दी गई है। साल 2005 में आशा कार्यकर्ता के पदों का सृजन किया गया था तब जननी सुरक्षा के लिए खास करके इनकी नियुक्ति की गई थी और जच्चा-बच्चा की सुरक्षा के पांच मुख्य काम इनके जिम्मे थे। आज इनके जिम्मे 50-55 काम, डाटा इंट्री के काम मोबाइल के जरिए, जनगणना, पेड़-गणना, जानवर-गणना, कुष्ठ रोग का सर्वे, टीबी के सर्वे से लेकर तमाम काम करने पड़ रहे हैं, जो इनके नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डूडा के तहत आने वाली मलिन बस्तियों और ग्रामीण/शहरी क्षेत्रो मे आशा बहुओं के रूप में नियुक्ति की जाती है।